न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 84/2019

श्री सांवरा पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ताजपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर

– वादीगण

बनाम

1. **भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय, अजमेर।**
2. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।**

– प्रतिवादी

निर्णय अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री दौलत सिंह राठौड़ प्रार्थी।

निर्णय दिनांक 16.12.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी की और से निवेदन है कि आवंटन शुदा आराजीयात वाकै ग्राम ताजपुरा तहसील सरवाड़ की सरहद में स्थित है।

ग्राम ताजपुरा की आराजी का विवरणः–

खाता सं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टयर)	किस्म
105–106	527	0.81	बीड़

वाद वर्णित आराजीयात पर वादी का निर्बाध एवं निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वाद वर्णित आराजी ख. नं. 449/4 इमरोज आवंटन से नाप चोक कर ख. नं. 449/4 आवंटन शुदा शमशान के लगवा आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया गया था। तब से लेकर निरनतर एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त उक्त खसरा संख्या पर वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है परंतु वादी को बिना सूचना के उक्त आराजी ख. नं. को भू प्रबंधक ने बिना कोई उचित आधार के राजस्व नक्शा में ख. सं. 522/1028 अलग तरमीम अन्यत्र जगह कर दिया जिससे आराजीयात का स्वरूप ही बदल गया। वाद वर्णित आराजीयात ख. सं. 527 को बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चारागाह में इन्द्राज कर दिया गया जबकि भू प्रबंध अधिकारी को किसी भी कानून या नियम के तहत ऐसा करने का अधिकार नहीं है जिससे उक्त इन्द्राज 527 को दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया। भू प्रबंध अधिकारी द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस में ख. सं. 522/1028 को राजस्व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज करते समय 527 की जगह इन्द्राज किया जाना चाहिए था किन्तु प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अन्यत्र जगह इन्द्राज कर दिया गया। जबकि आवंटन से लेकर आज दिवस तक वादी का कब्जा ख. नं. 527 को चारागाह से विलोपित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है इसलिए वादी के नाम इन्द्राज किया जावें तथा ख. सं. 522/1028 को चारागाह इन्द्राज किया

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

जावे। इस हेतु वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत भगवानपुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिया गया। जिस पर ग्राम पंचायत भगवानपुरा द्वारा दिनांक 20.06.2019 को प्रस्ताव पारित कर उक्त संशोधन हेतु सरपंच को अधिकृत किये जाने के उपरांत भी कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं हुयी है। उक्त आराजीयात राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग ख. नं. हो जाने से ग्राम पंचायत की आराजीयात का स्वरूप बदल गया है जिसे सही किया जाना न्यायेचित है। राजस्व रिकॉर्ड में एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 2 राजस्व लेण्ड हॉल्डर होने से एवं राजस्व रिकॉर्ड में संधारण होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 1 भू प्रबंध अधिकारी है इसलिए पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है एवं वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1, 2 राजकीय सेवा में होने से 2 माह का नोटिस दिया जाकर दावा प्रस्तुत करने से दावे का औचित्य खत्म होने से धारा 80(2) जाप्ता दीवानी के नोटिस में छूट दिया जाना न्यायसंगत है। वादी का वाद प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 20.06.2019 से दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में आता है।

अतः न्यायालय से निवेदन है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आश्य की डिग्री फरमावे।

यह कि वादी की वाद वर्णित आराजीयात ख. सं. 449/4 रकबा 5 बीघा ख. सं. 527 में पूर्व की भांति इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर एवं खसरा सं. 522/1028 को राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज किया जावे एवं इस हेतु प्रतिवादी सं. 1 व 2 को आदेशित किया जावे कि वादी के कब्जे स्वामित्व वाले ख. सं. 5527 रकबा 5 बीघा इन्द्राज किया जावे। इसी अनुरूप ख. सं. 522/1028 चारागाह इन्द्राज करने की आज्ञप्ति पारित की जावे। इस हेतु प्रतिवादी सं. 2 को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं उनके नौकर, चाकर को जरिये स्थांई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादीगण अपने हक अधिकारों से महरूम हो।

वादी द्वारा अपने पक्ष में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः—

1. प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम ताजपुरा संवत् 2071—2075 खाता सं. 1
2. प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम ताजपुरा संवत् 2071—2075 खाता सं. 302
3. प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम ताजपुरा संवत् 2067—2070 खाता सं. 1
4. प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम ताजपुरा संवत् 2071—2075 खाता सं. 285
5. प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम ताजपुरा संवत् 2071—75 खात सं. 250
6. प्रमाणित नक्शा ट्रेस ग्राम ताजपुरा
7. प्रमाणित नक्शा ग्राम ताजपुरा।
8. प्रतिलिपी मिलान खसरा ग्राम ताजपुरा।
9. ग्राम पंचायत भगवानपुरा प्रस्ताव प्रतिलिपी दिनांक 26.06.2019

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन कियाकि ग्राम ताजपुरा के ख. नं. 449/1 में से 38 बीघा 13 बिस्वा भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक/कअ/राजस्व/एफ 12(सी)/12/202 दिनांक 12.12.2012 से उक्त भूमि सिवायचक से चारागाह घोषित की गई है। जो नियमानुसार सही है।

बहस के तथ्यों पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी द्वारा धारा अन्तर्गत 88 RTA उद्घोषणा बाबत् दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा ना तो विवादित आराजी के आवंटन एवं कब्जा संभलाने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए है और ना ही मौके पर कब्जे बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि खसरा नं. 527 (पुराना 441/1) वर्तमान में चरागाह ग्राम पंचायत ताजपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पंचायत भगवानपुरा के खाते में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल ग्राम ताजपुरा से स्पष्ट है कि वादी के खाते में पुराने खसरा नं. 449/4 से नये नं. 522/1028 बने है जो वर्तमान में वादी के खाते में दर्ज है एवं 441/1 के नये नं. 527 बने है जो वर्तमान में चरागाह दर्ज है। वादी भूमि के आवंटन एवं आवंटित भूमि के कब्जे संभलाने बाबत् साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अतः वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.12 14:23:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: